HAMIRPUR POLICE

थाना जरिया **दिनांक 01.08.2022**

गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी की ₹02,05,015/- (दो लाख पाँच हजार पंद्रह रुपये) की संपत्ति कुर्क

जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु व अपराधिक कृत्यों से चल/अचल संपत्ति के जब्तीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना जरिया पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए **गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त कपिल राजपूत पुत्र श्री मानबहादुर राजपूत** निवासी मु0 जयप्रकाश नगर, गोहाण्ड थाना जरिया जनपद हमीरपुर चालानी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर के विरूद्ध धारा-14 (1) गैगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कर उपरोक्त अभियुक्त की सम्पत्ति ₹02,05,015/- (दो लाख पाँच हजार पंद्रह रुपये की धनराशि बैंक खाते में फ्रीज/जब्त) कुर्क गई।

उपरोक्त अभियुक्त कपिल राजपूत आईपीसी के अध्याय 16, 17 में 22 वर्णित अपराध कारित करने का पेशेवर अपराधी है, इसके द्वारा वर्ष 2020 से आपराधिक क्रिया कलापों में संलग्न रहकर कई घटनाएं कारित की गई है, इसके द्वारा अपने ऐशो-आराम व आर्थिक/भौतिक लाभ हेतु विगत वर्षों से आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहकर उक्त अपराध कारित करते हुए अर्जित किए हुए घन /सम्पत्ति को बैंक में अपने नाम जमा किया गया है, जिसके अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई थी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1) मु0अ0सं0-09/2020, धारा-323/354/386/504/506 आईपीसी,

2) मु0अ0सं0-39/2020 धारा- 13 जुआ अधिनियम,

2) मु0अ0सं0-145/2020, धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट।